अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल पार्टीशन वाद संख्या– 9/1994

घनश्याम सिंकु।

वनाम

रौरीया हो एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख

आदेश

यह कोल्हान टाईटल पार्टीशन वाद दिनांक– 26.04.1994 को घनश्याम सिंकु एवं 9 (नौ) अन्य, ग्राम– केन्दपोसी, थाना– हाटगम्हरिया, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule "B" में वर्णित भूमि का बराबर–बराबर हिस्सो में बटवारा के लिए प्रतिवादी संख्या 1. रौरीया हो, 2. रूपा हो, ग्राम– केन्दपोसी, परगना– कोल्हान, थाना– हाटगम्हरिया, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद भूमि के वादी प्रतिवादी एवं उनके अधिवक्ता की ओर से लम्बे समय से कोई पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

22.03.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

22.03.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.03.26 17:16:19 +05:30
Location: 10.93.66.34

Scanned with CamScanner